(E signed) (2021/00090)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर ,जालोर

पीठासीन अधिकारी

छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण सं. 5/2016

प्रार्थी :--
राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार रानीवाडा

बनाम

अप्रार्थीगण:—
1.असकरअली पुत्र गुलाम मुर्तजा कुरेशी, साकिन बडगांव,
2.मोहम्मद हुसैन पुत्र कमरूद्दीन , बोहरा मुसलमान, साकिन बडगांव तहसील रानीवाडा, जिला जालोर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—
1.श्री छोटूसिंह, विद्वान सरकारी अभिभाषक ,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री जगदीश गोदारा,विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.11.2019

1. यह प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। प्रार्थी तहसीलदार रानीवाडा ने यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया हैं जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बडगांव के पुराने खसरा नम्बर 660 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा,,किस्म गैर मुमकिन वाला, राजस्व रैकर्ड में दर्ज थी ,किस्म गैर मुमकिन वाला संवत् 2029 तक दर्ज रही। इसके पश्चात् द्वितिय सैटलमेन्ट में खसरा नम्बर 660 के नवीन खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.24 हेक्टर ,किस्म बारानी सृजित किया ,वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरों की भूमि की किस्म बदलकर बारानी सोयम कर दिया व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का कब्जा होने पर आवंटन करवा दिया। माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 3928/15,गुमानमल बनाम जिला कलेक्टर,जालोर की पालना में यह प्रकरण पेश किया गया है। पुराना खसरा नम्बर 660 जो गैर मुमकिन वाला अवस्थित था ,अप्रार्थीगण को आवंटन गलत व अवैध हुआ है तथा उक्त खसरा नम्बर 660 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन वाला, हाल खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.24 हेक्टर ,किस्म बारानी सोयम पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, जो अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि जिसे पुनः गैर मुमकिन वाला ,राजकीय सरकार में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः जिसको पुनः गैर मुमकिन वाला में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अतः प्रकरण मौजा बडगांव के पुराने खसरा नम्बर 660 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा,किस्म गैर मुमकिन वाला जिसके हाल खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.24 हेक्टर किस्म बारानी सोयम बने है, की भूमि पूर्वानुसार गैरमुमकिन वाला दर्ज करने व बाद के आज तक के राजस्व रैकार्ड में किये गये इन्द्राजात् को निरस्त करने के आदेश हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स किया जाता है। पक्षकारान् माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 25.2.2020 को पैरवी हेतु उपस्थित रहे।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

आदेश,आज दिनांक 22.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.13 18:07:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: